कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

संख्याः न-42/एफ0एस0-14

दिनांकः जून 11,2014
जुलाई

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सेन्ट फ्रांसिस फार द हियरिंग ईम्पेड,
ठाकुर गंज ,लखनऊ।

विषयः- सेन्ट फ्रासिस फार द हियरिंग ईम्पेर्ड (हाई स्कूल) जलनिगम रोड बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ को अग्निशमन सुरक्षाका नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-10-06-14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक विद्यालय भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 21-10-2010 के अनुसार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सापेक्ष एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, चौक द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

भवन की संरचना :-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 8281-00 वर्ग मीटर
2- भूतल का कवर्ड एरिया- 957-80 वर्ग मीटर

ढॉचागत व्यवस्थाः-

1- **पहुँच मार्ग** :- भूखण्ड के सामने 12 मीटर चौड़े रोड पर उपलब्ध है।

3- **सेटबैकः**- स्कूल भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैः-

- अग्रभाग- 7.95 वर्ग मीटर
- पृष्ठभाग- 7.5 वर्ग मी0
- पार्श्व भाग-1 7.5 वर्ग मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय- 7.5 वर्ग मीटर

3- **निकास मार्गः**- भूमितल पर ही निर्मित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः-

1- **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:- आईएस 2190- 2010 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूसर कार्यशील दशा में अधिष्ठापित है। तथा प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस राकीय कोष में जमा करा ली गई है ।

2- अग्निशमन पद्धति के अनुरक्षण हेतु निर्देशित किया गया ।

3- अग्निशमन पद्धति के संचालन हेतु निर्देशित किया गया ।

.F.O.
LKW.

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, चौक की संस्तुति के आधार पर सेन्ट फ्रासिस फार द हियरिंग ईय्पेर्ड (हाई स्कूल) जन निगम रोड बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ को अग्निशमन सुरक्षा का नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1- भवन स्वामी/ प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6- विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है। इन कमरो में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैठाया जायेगा।

7- विद्यालय मे भोजन एवँ मिड डे मील आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टीन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जायेगा।

8- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण नही किया जायेगा।

9- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

10- उक्त शर्तो/ निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

13/7

(एच.एस.मलिक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

अग्निशमन अधिकारी, चौक लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।